



प्रेषक,
के०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2026

विषय: जनपद चित्रकूट में डिपो कार्यशाला एवं आवासों का नवनिर्माण कराये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-110बी/डीए/पूर्व/26-25जेईटी/वि०/20-21, दिनांक 30.01.2026 एवं पत्र संख्या-198बी/डीए/पूर्व/26-25जेईटी/वि०/20-21, दिनांक 20.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट में डिपो कार्यशाला एवं आवासों का नवनिर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-16/2024/2203/तीस-1-2024, दिनांक 15.03.2024 द्वारा स्वीकृत लागत रू० 785.32 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू० 392.66 लाख अवमुक्त की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-34/2024/1000/तीस-1-2024, दिनांक 25.11.2024 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू० 997.53 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त निर्माण कार्य हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद कार्यदायी संस्था के रूप में नामित है।

2- प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम के संदर्भित पत्र दिनांक 30.01.2026 द्वारा जनपद चित्रकूट में डिपो कार्यशाला एवं आवासों का नवनिर्माण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित लागत रू० 997.53 लाख के सापेक्ष निविदा लागत रू० 997.48 लाख (जी०एस०टी०, लेबर सेस, सेन्टेज चार्जेज, कन्ट्रीजेन्सी तथा बाह्य विद्युत संयोजन सहित) में से अब तक अवमुक्त की धनराशि रू० 392.66 लाख को घटाते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में व्यय हेतु द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू० 604.82 लाख (रूपये छः करोड़ चार लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
- (3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (7) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (8) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

- (9) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (10) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।
- (11) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम को होगा।
- (12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।
- (13) उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त व्यय की जायेगी।
- (14) परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पीपीपी माडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।
- (15) अन्य समस्त शर्तें पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-16/2024/2203/तीस-1-2024, दिनांक 15.03.2024 एवं शासनादेश संख्या-34/2024/1000/तीस-1-2024, दिनांक 25.11.2024 के अनुरूप यथावत रहेंगी।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 043-परिवहन विभाग के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0401-बस अड़्डों के निर्माण में अंशपूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।
- 4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या-E-9-432-X-2025-26- दिनांक:18-3-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 26/2026/ 231(1)/तीस-1-2026 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
11. नोडल अधिकारी (बजट आवंटन)/ परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
12. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
अरविन्द कुमार
अनु सचिव।